संख्या-27/2022/119/23-9-2022-10नाबार्ड(ओडीआर)/2017

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक 08 मार्च, 2022

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-58 के अन्तर्गत नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख/अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के चालू कार्यो हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महादेय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-197/37पी0जे0(आ0)/आर.एस.डी.-5/21, दिनांक 25.02.2022 एवं पत्र संख्या-194/37पी0जे0(आ0)/आर.एस.डी.-5/21, दिनांक 10.02.2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत निम्नलिखित सूची के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेशों द्वारा स्वीकृत जनपद कुशीनगर एवं सिद्धार्थनगर के 02 चालू कार्यो हेतु सूची के स्तम्भ-10 के अनुसार रू0 26,10,89,000/- (रूपये छब्बीस करोड़ दस लाख इक्यानबे हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत लम्बाई (कि0मी0 में)	स्वीकृत लागत	वास्तविक लागत	वर्ष 21-22 में आवंटन	अद्यतन अवशेष	वर्ष 2021-22 में अब अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कुशीनगर	तमकुही सिसवा नाहर अहिरौलीदान मार्ग (अ0जि0मा0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	202/1831/आई/0 -116188 लोक निर्माण अनुभाग9-, दि0 24.11.2021	22.30	5922.70	5922.70	1086.530	4836.17	1480.68

क्रमशः.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत लम्बाई (कि0मी0 में)	स्वीकृत लागत	वास्तविक लागत	वर्ष 21-22 में आवंटन	अद्यतन अवशेष	वर्ष 2021-22 में अब अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	सिद्धार्थ नगर	शाहपुर सिंगारजोत मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के 0.00 से 22.00 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य	202/1831/आई/0 -116188 लोक निर्माण अनुभाग9-, दि0 24.11.2021	22.00	4520.83	4520.83	828.59	3692.24	1130.21
			कुल योग-	44.30	10443.53	10443.53	1915.12	8528.41	2610.89

2- उक्त धनराशि केवल उल्लिखित परियोजनाओं पर ही मानक एवं विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

3- नाबार्ड योजनान्तर्गत निर्माणाधीन मार्गों के गुणवत्तायुक्त निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में वित्तीय स्वीकृतियों निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- संलग्न तालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेशों की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

6- इस संबध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय 04-जिला तथा अन्य सड़कें, 337-सड़क निर्माण कार्य, 83-नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख/अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के चालू कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था, 00, 24-वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के नामे डाला जायेगा।

क्रमशः.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्राविधानित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव

संख्या उपरोक्त एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
4- संबंधित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी ।
5- मुख्य अभियन्ता (मु0-1) / वित्त नियंत्रक, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
7- संबंधित अधिशासी अभियन्ता।
8- लोक निर्माण अनुभाग-10।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।